मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर, 1999 (अग्रहायण 3, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री डोमनसिंह नगपुरे, राज्यमंत्री समाज कल्याण, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्त जन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री पी.सी.शर्मा, सदस्य, महिला एवं बाल विकास संचालनालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में की जा रही अनियमितता की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, रायपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री जयंत कुमार मलैया, सभापति, लोक लेखा समिति का 27 वां से 49 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री शिवनारायण मीना, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 39 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6 घन्टे (2) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भूमि प्रबन्धन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री महेन्द्र सिंह, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 1999 (क्रमांक 35 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री अजय मुशरान, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 36 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री नंद कुमार पटेल, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा समिति विधेयक, 1999 (क्रमांक 38 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 22 नवम्बर, 1999